

मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी चूरु

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) चूरु

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

उनवान

सोहन लाल

बनाम

श्रीमती सुश्री श्रीमती

दावा बाबत नाम डिक्री प्लेडर

मुकदमा नम्बर :- 130/2022

निर्णय दिनांक :- 15.06.2022

वादी की ओर से सोहन लाल की व प्रतिवादी की ओर से पैरोकार राज की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15.06.22 को श्री सत्यनारायण आर.ए.एस. (नाम पीठासीन अधिकारी), उपखण्ड अधिकारी, चूरु के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि - दावा वादी (सोहन लाल) को प्रतिवादी (श्रीमती सुश्री श्रीमती) के नाम पर 159 वर्ग 286.72 से अधिक मोटार वाहन के नाम पर सोहन लाल के नाम की खपतों की जाति है तथा मोटार वाहन डिक्री के तहत सोहन लाल के नाम की खपतों में अनापत्तियों को दायी के डिपेंडेंस में कोई भी मोटार वाहन खपतों को दायी के डिपेंडेंस में नहीं खर्चों पक्षकार से अपना-अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 15.06.2022 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

(सत्यनारायण)
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4.रुपये पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय		आदेशिका की तामील	
6. कमिश्नर की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड़		जोड़	



1376
20/06/2022